<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99</u> REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219127 CG-DL-E-24042020-219127

> असाधारण EXTRAORDINARY

> > भाग III—खण्ड 4

**PART III—Section 4** 

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] No. 153] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

- सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.056.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 है।
  - (2) ये 25 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 40ख में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात:-

1826 GI/2020 (1)

"(4) इस विनियम के अधीन या तो सुधार, अद्यतन करके या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् प्ररूप फाइल करने पर उसके साथ 1 अक्टूबर, 2020 के पश्चात् विलंब के प्रत्येक कलैंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

उदाहरण: कोई प्ररूप 30 अक्टूबर, 2020 तक फाइल किया जाना अपेक्षित है। वह निम्नानुसार फीस सहित फाइल किया जाएगा:

यदि निम्नलिखित तारीख को फाइल किया जाता है	फीस (रुपयों में)
29 अक्टूबर, 2020	0
30 अक्टूबर, 2020	0
31 अक्टूबर, 2020	500
नवम्बर, 2020 में किसी दिन	1000
दिसम्बर, 2020 में किसी दिन	1500"

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा. /09/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 58, तारीख 12 फरवरी, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./ आर.ई.जी.055, तारीख 12 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित, द्वारा संशोधन किए गए थे।

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के शासी बोर्ड ने तारीख 25 मार्च, 2020 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन करने का विनिश्चय किया । केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप 25 मार्च, 2020 से घोषित राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन के कारण विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जा सकी । अतः संशोधनकारी विनियमों को 25 मार्च, 2020 से प्रभावी करने की दृष्टि से इस टिप्पण के साथ बोर्ड की वैबसाइट पर प्रकाशित किया गया था कि उन्हें भारत के राजपत्र में तब प्रकाशित किया जाएगा जैसे ही भारत सरकार का मुद्रणालय इसे प्रकाशनार्थ स्वीकार करता है । शासी बोर्ड का आशय संशोधित विनियमों को 25 मार्च, 2020 से प्रवृत्त करना था ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि चूंकि संशोधित विनियम हितधारकों को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में आदर्श समय-सारणी के संबंध में स्पष्टता प्रदान करते हैं इसलिए इन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

# INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2020.

**No. IBBI/2020-21/GN/REG056.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2020.
- (2) They shall be deemed to come into force on the 25<sup>th</sup> March, 2020.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, in regulation 40B, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
- "(4) The filing of a Form under this regulation after due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, shall be accompanied by a fee of five hundred rupees per Form for each calendar month of delay after 1st October, 2020.

Example: A Form is required to be filed by 30<sup>th</sup> October, 2020. It shall be filed along with a fee as under:

If filed on	Fee (in Rupees)
29 <sup>th</sup> October, 2020	0
30 <sup>th</sup> October, 2020	0
31 <sup>st</sup> October, 2020	500
Any day in November, 2020	1000
Any day in December, 2020	1500"

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./09/2020-21]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30<sup>th</sup> November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30<sup>th</sup> November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2020 published *vide* Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG055, dated the 12<sup>th</sup> February, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 58 on 12<sup>th</sup> February, 2020.

### **Explanatory Memorandum**

The Governing Board of the Insolvency and Bankruptcy Board of India decided on 25<sup>th</sup> March, 2020 to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The notification amending the regulations could not be published in the Gazette of India, due to the nationwide lockdown declared by the Central Government w.e.f. 25<sup>th</sup> March, 2020, in the wake of the outbreak of Covid-19. The amendment regulations were, therefore, published on the website of the Board for it to be effective from the 25<sup>th</sup> March, 2020, with a note that the same shall be published in the Gazette of India as soon as the Government Press accepts the notification for publication. The intention of the Governing Board was to bring into force the amended regulations with effect from the 25<sup>th</sup> March, 2020.

It is certified that, since the amended regulations provide clarity to the stakeholders in regard to the model time-line in the corporate insolvency resolution process, no person is being adversely affected by giving retrospective effect.